केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 253 शनिवार 12 अप्रैल 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

शोभा यात्रा 12 को

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । कायस्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त जी के प्रकटोत्सव अवसर पर 12 अप्रैल शनिवार को दिन में 3 बजे से भगवान चित्रगुप्त मंदिर निकट गौरीदत्त धर्मशाला से गांधीनगर होते हुये कम्पनीबाग से मालवीय रोड होते हुये धर्मशाला स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जायेगी। भगवान श्री चित्रगुप्त मंदिर पर शोभा यात्रा का समापन होगा।

यह जानकारी देते हुये कायस्थ सेवा ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा अनुमति देने में बिलम्ब किया गया इसके बावजूद शोभा यात्रा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।

बेस्ट ऑफ बस्ती अवॉर्ड्स की सफलता पर जताया आभार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ" एवं "लीड यू फाउंडेशन" के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बेस्ट ऑफ बस्ती अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन 10 अप्रैल को पं. अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह, बस्ती में भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के आयोजक भावेष कुमार पाण्डेय (अध्यक्ष – नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ), संयोजक रीतिकेश सहाय एवं सह–संयोजक डॉ. सुधांशु पाण्डेय ने इस सफल और ऐतिहासिक आयोजन में सहभागिता निभाने वाले सभी मुख्य अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों, सम्मानित विभूतियों, उनके परिजनों, आगंतुकों, पत्रकार बंधुओं तथा समाज के जागरूक नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त किया। यह आयोजन बस्ती जनपद की प्रतिभाओं को एक मंच पर लाकर उनके योगदान को सम्मानित करने का प्रयास था, जिसे जनसमर्थन, मीडिया सहयोग और समाज के हर वर्ग से मिले सकारात्मक उत्साह ने ऐतिहासिक बना दिया।

कार्यक्रम की सफलता में नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के सक्रिय सदस्यों राम प्रताप सिंह, नवीन त्रिपाठी, योगेंद्र शुक्ला, ओंकार चौधरी, काजी फरजान, अंकिता शुक्ला, आशुतोष श्रीवास्तव, अमित पाण्डेय, सुनील यादव, शाश्वत श्रीवास्तव, अभिषेक ओझा,अनामिका सिंह, आशुतोष सिंह, रोहन राव, रुद्र आदर्श पाण्डेय, आयुष्मान भट्ट, विपिन, सुरेन्द्र चौधरी, प्रिंस मिश्रा, हेमंत पाण्डेय, अमित राय, उत्तम दूबे, रत्नेश विश्वकर्मा, हिमांशु सोनी, अरुण पाण्डेय आदि की सराहनीय भूमिका रही।

आयोजकों ने आशा व्यक्त की कि यह प्रयास आने वाले वर्षों में भी निरंतर जारी रहेगा और बस्ती की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता रहेगा।

सरयू नदी में उतराता मिला शव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। दुबौलिया थानाक्षेत्र के कटरिया–चांदपुर तटबंध पर स्थित खलवा गांव के पास सरयू नदी में ग्रामीणों ने एक उतराता शव को देखने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। दुबौलिया थानाक्षेत्र के कटरिया–चांदपुर तटबंध पर स्थित खलवा गांव के निकट सरयू नदी में गुरुवार को ग्रामीणों को एक उतराता हुआ एक शव दिखने से हड़कंप मच गया। इस शव को देखने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही थानेदार अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने चौकीदार के मदद से नदी से शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच कर छानबीन की।

पीएम मोदी ने दिया काशी को 11 सौगात

वाराणसी (आभा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 3900 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। काशी में देश की पहली शहरी यातायात के लिए रोपवे पहले ही मिल चुकी है, अब एयरपोर्ट पर रनवे के नीचे सिक्स लेन टनल के साथ कई तोहफे मिले हैं। इस टनल से वाराणसी से राजधानी लखनऊ का सफर आसान होगा। टनल में कई सुविधाएं भी दी जाएंगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी ने वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर खास जोर दिया है। 10 वर्षों में 45 हजार करोड़ रुपये का यहां निवेश किया गया है।

इनमें फुलवरिया फ्लाईओवर, रिंगरोड, और गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर जैसे क्षेत्रों को जोड़ने वाले चौड़े रास्ते शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले छोटे–छोटे त्योहारों पर भी जाम लग जाता था। अब रास्ते चौड़े हुए हैं, समय बच रहा है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के विस्तार के साथ–साथ 6 लेन का अंडरग्राउंड टनल, भिखारीपुर और मंडुआडीह में फ्लाईओवर और बनारस–सारनाथ को जोड़ने वाला नया पुल जैसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए ।

39 लाख 87 हजार की लागत से बनेगा कूडा निस्तारण केन्द्र

–नगर पालिका अध्यक्ष ने किया भूमि पूजन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता अंकुर वर्मा के साथ विधि विधान से कोठवा भरतपुर के निकट कूडा निस्तारण केन्द्र एम.आर.एफ. सेन्टर के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया।

भूमि पूजन के बाद नगर पालिका अध्यक्ष नेहा और अंकुर वर्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन की कड़ी में 39 लाख 87 हजार की लागत से शहर से सटे कोठवा भरतपुर में कूडा निस्तारण केन्द्र एम.आर.एफ. सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा। इससे कूडा निस्तारण में तेजी आयेगी। पालिकाध्यक्ष नेहा वर्मा ने इस मौके पर कहा कि उन्होने चुनाव के दौरान नगर पालिका क्षेत्र की जनता से जो वायदा किया था उसे चरणबद्ध ढंग से पूरा कराया जा रहा है।

कूडा निस्तारण केन्द्र के भूमि पूजन अवसर पर मुख्य रूप से नगरपालिका के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिक शामिल रहे।

डीएम ने किया डायट परिसर में नवनिर्मित कार्यों का निरीक्षण

–विदाई समारोह में बढाया बालिकाओं का हौसला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। डायट परिसर में स्थापित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय साऊंघाट में कक्षा आठ पास छात्राओं के विदाई समारोह का आयोजन शुक्रवार को किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित करके किया। छात्राओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की।

विदाई समारोह के उपरांत जिलाधिकारी ने डायट परिसर में नवनिर्मित बाउंड्रीवाल, परिसर में नवस्थापित गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक अध्ययन, कला तथा संगीत विषयों के प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरी और डीएलएड प्रशिक्षुओं की कक्षाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया।

डीएलएड प्रशिक्षुओं से संवाद स्थापित करते हुए जिलाधिकारी ने उनकी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने जिलाधिकारी से संवाद के क्रम में अपनी बात रखते हुए इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण का उनके सामान्य जीवन पर प्रभाव, यातायात ट्रैफिक की समस्या, सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन तथा इसके समाधान के उपाय, सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान सड़क के किनारे लगी पेड़ों के कटान और उसके प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों पर अपनी बात रखते हुए डायट परिसर में एक ओपन जिम स्थापित कराने की मांग रखी।

जिलाधिकारी ने डीएलएड प्रशिक्षुओं की बात को गंभीरता पूर्वक सुना और इसके समाधान हेतु आवश्यक पहल का आश्वासन दिया। इस दौरान डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार तिवारी, डायट प्रवक्ता तथा केजीवीबी वार्डन और अन्य स्टाफ मौजूद रहे।

विधवा दलित महिला का रास्ता रोकाः भीम आर्मी जय भीम ने किया न्याय दिलाने की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । शुक्रवार को भीम आर्मी जय भीम जिलाध्यक्ष अश्वनी कुमार गौतम के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मांग किया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला पिकौरा शिव गुलाम निवासिनी असहाय अनुसूचित जाति की विधवा महिला सुशीला पत्नी स्वर्गीय रामचअल के बैनामाशुदा जमीन के रास्ते को विपक्षियों द्वारा गेट हटवाकर रास्ता बंद कर दिये जाने के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाय।

ज्ञापन देने के बाद भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विक्रम गौतम एडवोकेट ने बताया कि पिकौरा शिव गुलाम निवासिनी विधवा महिला सुशीला के पति ने टी.वी. अस्पताल के निकट आराजी नम्बर 112 में एक विस्वा जमीन बैनामा कराया था। जमीन में जाने के लिये 5 फिट का रास्ता नवीन परती बंजर से मिला था। एक अज्ञात व्यक्ति ने उस रास्ते को बंद कर दिया है। धमकी दी जा रही है कि जमीन छोड़कर भाग जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मांग किया कि दोषी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अवरूद्ध रास्ता खोलवाया जाय। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से भीम आर्मी के पूर्व मण्डल अध्यक्ष राहुल, साधना गौतम, सुशीला, अनन्तराम, आनन्द कुमार, चन्द्रसेन आदि शामिल रहे।

राष्ट्रीय नाई महासभा के सम्मेलन की तैयारियां तेज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। राष्ट्रीय नाई महासभा का एक दिवसीय सम्मेलन आगामी 24 मई को प्रस्तावित है, इसकी तेज हो गई है। यह जानकारी देते हुये जिलाध्यक्ष ई. संजय शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में नाई समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों और उत्पीड़न, उपेक्षा, अवसर छीने जाने पर विस्तार से चर्चा कर निर्णय लिये जायेंगे।

बताया कि राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजमणि शर्मा ने तैयारियों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम स्थल पं. अटल बिहारी बाजपेई आडिटोरियम में कार्यक्रम के रूप, स्वरूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिया। इस दौरान डा. कैलाश चन्द्र शर्मा, उमाशंकर शर्मा, त्रियुगी प्रसाद, बलराम शर्मा, मायाराम शर्मा आदि उपस्थित रहे।

शिक्षा के बाजारीकरण के विरोध में कांग्रेस ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

–फीस, संसाधन के लिये नियमावली बनाये सरकार– विश्वनाथ चौधरी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर कांग्रेस नेताओं ने जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुये राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी को तत्काल रोके जाय, फीस बृद्धि, किताबों एवं यूनिफॉर्म के लिए न्यायोचित नियमावली बनवायी जाय।

ज्ञापन देने के बाद जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि अभिभावकों को बेहतर शिक्षा के झूठे सपने दिखाकर फीस, कापी किताब आदि के नाम पर सुनियोजित ठगी की जा रही है। इससे अभिभावक त्रस्त होकर ठगा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार निजी स्कूलों की मनमानी रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। पूर्व विधायक अम्बिका सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार में शिक्षा का बाजारीकरण कर रही है। यह स्थितियां खतरनाक है। सरकार ने स्पष्ट नियमावली न बनाया तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आन्दोलन तेज करेगी।

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से साधू शरण आर्य, अनिल भारती , बाबूराम सिंह, अमित सिंह, डॉ दीपेंद्र सिंह, वाहिद अली सिद्दीकी, गिरजेश पाल, राजबहादुर निषाद, अवधेश सिंह, नोमान अहमद, प्रताप नारायण मिश्र, अमरदेव, शौकत अली, अमर बहादुर शुक्ला, शेर मोहम्मद, मंजू पाण्डेय, रविन्द्र सिंह, राजन, अलीम अख्तर, शिव नारायण पाण्डेय, लालजीत पहलवान, गुड्डू सोनकर, मदन लाल, प्रमोद कुमार द्विवेदी, मो. अकरम, अब्दुल रऊफ, आनन्द निषाद, सद्दाम हुसैन, राम बचन भारती, राहुल चौधरी, सोमनाथ, इम्तियाज अहमद, शकुन्तला देवी,नीलम विश्वकर्मा के साथ ही कांग्रेस के अनेक नेता, कार्यकर्ता शामिल रहे।

निजी अस्पताल में ममता के मौत का मामला गरमाया, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने दिलाया कड़ी कार्रवाई का भरोसा

–परिजनों को दिया आर्थिक सहयोग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने शुक्रवार को पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के पहुरा गांव पहुंचकर संदिग्ध परिस्थितियों में 24 वर्षीया ममता चौधरी की मृत्यु पर परिजनों को ढांढस बधाया। उन्होने ममता के पिता रामभवन चौधरी को आर्थिक सहयोग देते हुये भरोसा दिलाया कि एक निजी अस्पताल में उसके मौत के मामले में न्याय दिलाने के लिये वे हर संभव प्रयास करेगे।

पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने कहा कि 24 वर्षीया ममता चौधरी के मौत का मामला गंभीर है। इसके सभी पहलुओं की जांच होने के साथ ही दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हो। ममता के पिता रामभवन चौधरी ने दयाराम चौधरी ने बताया कि सन्स हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर संतकबीरनगर में हुई इस घटना में पुलिस ने अभी तक केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दयाराम चौधरी ने पीड़ित पिता को आश्वासन दिया कि इस मामले में दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के लिये वे स्वंय पहल कर रहे हैं। सन्स हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर के गतिविधियों की उच्च स्तरीय जांच कराया जायेगा। दोषी बक्शे नहीं जायेंगे।

24 वर्षीया ममता चौधरी की मृत्यु पर परिजनों को ढांढस बधाने वालो में मुख्य रूप से डा. आर.पी. शुक्ला, कामेन्द्र चौहान, विकास चौधरी, रामकेवल चौधरी, अंश चौहान, राम प्रकाश चौधरी, आशीष चौधरी, लालचंद चौधरी, राम बहादुर वर्मा, महेन्द्र चौधरी, चन्द्रभान चौधरी आदि शामिल रहे।

समाजवादियों ने जयन्ती पर किया ज्योतिबा फुले को नमन्

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शुक्रवार को महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक एवं दार्शनिक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले को उनकी जयन्ती पर याद किया गया । सपा जिलाध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने ज्योतिबा फुले को नमन् करते हुये कहा कि उन्होने दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य शूद्रों–अतिशूद्रों को न्याय दिलाना, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, वंचित वर्ग के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आदि शामिल था।

–सदैव याद किये जायेंगे ज्योतिबा फुले– महेन्द्रनाथ यादव
–प्रताप चौधरी समेत अनेक सपा में शामिल

सपा विधायक राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि उस समय महाराष्ट्र में जाति–प्रथा बड़े ही वीभत्स रूप में फैली हुई थी। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर लोग उदासीन थे, ऐसे में ज्योतिबा फुले ने समाज को इन कुरीतियों से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए। उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम महिला शिक्षा तथा अछूतोद्धार का कार्य आरंभ किया था। पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला। ऐसे महान लोगों को सदैव याद करना चाहिए।

सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजाराम यादव, प्रवीण पाठक, जावेद पिण्डारी, मो. स्वालेह, विपिन त्रिपाठी, अंकुर गौतम, अजय यादव, हरीश गौतम, संजय गौतम, आर.डी. निषाद, इन्द्रावती शुक्ला, मो. सलीम, गीता भारती आदि ने ज्योतिबा फुले के योगदन पर विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर 1888 में मुंबई की एक सभा में उन्हे महात्मा की उपाधि से नवाजा गया। उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सुरेन्द्र प्रताप चौधरी, देवेन्द्र सहाय, विकास कुमार, सुशील चौधरी, सीताराम वर्मा ने सपा की सदस्यता लिया। जिलाध्यक्ष ने उनका पार्टी में स्वागत करते हुये नीति, कार्यक्रमों की जानकारी दी। सपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि आगामी 13 अप्रैल को वी.पी. मण्डल और 14 अप्रैल को बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर को सपा कार्यालय पर याद किया जायेगा।

महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले को नमन करने वालों में देवेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, शंकर यादव, तूफानी यादव, प्रशान्त यादव, श्याम सुन्दर यादव, रजवन्त यादव, जोखूलाल यादव, नितराम चौधरी, रहमान सिद्दीकी, जमीरूल्लाह, प्रदीप मौर्य, राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, युनूस आलम, अशोक यादव, विश्वम्भर चौधरी, संदीप राजभर, गिरीश चन्द्र, सुरेश यादव, सुभाष यादव, गुलाम गौस, राहुल सोनकर, मंगल निषाद, जहीर अंसारी, हनुमान गौड़, गौरीशंकर यादव आदि शामिल रहे।

व्यापारी महाकुंभ 14 को, उठेंगे जमीनी मुद्दे

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल 14 अप्रैल को शाम 5.00 बजे ''व्यापारी महाकुंभ'' का आयोजन कर रहा है। इसमें बस्ती शहर के अलावा जनपद के विभिन्न कस्बों के व्यापारी बढ़चढ़ कर हिस्सा लेंगे। यह जानकारी प्रतिनिधि मंडल के चेयरमैन आनंद राजपाल ने प्रेस क्लब सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता मे दी।

उन्होने कहा विगत 21 वर्षों से हमारे और सूर्यकुमार शुक्ल के संयुक्त नेतृत्व में व्यापारियों के मुद्दे उठाये जा रहे हैं। अनेकों मामले में न्याय मिला है और शासन प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा है। काफी समय से महसूस किया जा रहा था कि अब संगठन की बागडोर युवा हाथों में दी जाये। इसी दिशा में प्रयास करते हुये नई कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है जो व्यापारी महाकुंभ में शपथ लेगी। आनंद राजपाल ने कहा इस आयोजन में राज्यसभा सदस्य, डा. राधामोहनदास अग्रवाल, भारत सरकार के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चेयरमैन महेन्द्र जैन मयूर,

–नई कार्यकारिणी लेगी शपथ
– तैयारियां, सम्पर्क जोरों पर

शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा, देवेश रस्तोगी, सुनील पाण्डेय आदि का आगमन हो रहा है।

व्यापारी महाकुंभ में व्यापारी आयोग के गठन तथा वस्तु एवं सेवा कर दाताओं के स्वास्थ्य बीमे की मांग प्रमुखता से उठेगी। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला संयोजक सूर्यकुमार शुक्ल ने कहा कि जिलाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्त, महामंत्री रंजीत श्रीवास्तव, प्रभात सोनी, धर्मेन्द्र चौरसिया, डब्बू श्रीवास्तव, एसएन गुप्ता, सतीश सोनकर आदि व्यापारी महाकुंभ को सफल बनाने में पूरे मनोयोग से जुटे हैं। जिले के विभिन्न कस्बों के व्यापारियों को आमंत्रित किया गया है। श्री शुक्ल ने कहा इसमे दो हजार से ज्यादा व्यापारी शामिल होंगे। महामंत्री रंजीत श्रीवास्तव ने कहा कि अयोजन को लेकर व्यापारियों में काफी उत्साह है। निश्चित रूप से आयोजन के माध्यम से व्यापारियों की एकजुटता दिखाई देगी।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 12 अप्रैल 2025 शनिवार

सम्पादकीय

आर्थिक उथल–पुथल और ट्रंप

कहा जाता है कि जिद्द के पक्के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमतौर पर अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते हैं। यदि ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो उसे असामान्य बात ही कहा जाएगा। लेकिन हाल ही में उनके उस फैसले ने सबको चौंकाया है जिसमें उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के सदस्यों समेत दुनिया के साठ देशों के खिलाफ घोषित 'पारस्परिक टैरिफ' को नब्बे दिनों को टालने की घोषणा की है। बहरहाल, उनके इस अप्रत्याशित फैसले ने वैश्विक बाजारों को राहत दी है। जो यह दर्शाता है कि अड़ियल माने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रतिकूल वैश्विक प्रतिक्रिया और घरेलू स्तर पर लगातार तेज होती असंतोष की आवाज से पूरी तरह से बेखबर नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने की रफ्तार तेज कर दी है। अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर लगाये जाने वाले कर की दर को बढ़ाकर एक सौ पच्चीस कर दिया है। ऐसा लगता है कि चतुर सुजान ट्रंप को इस बात का अहसास हो गया है कि दुनिया के बहुत सारे देशों को नाराज करने की तुलना में एक मुख्य प्रतिद्वंद्वी पर निशाना केंद्रित करना अधिक सुरक्षित और समझदारी से भरा फैसला होता है। दरअसल, टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका में शेयर बाजार जिस तेजी से ध्वस्त हुए हैं, उसके मद्देनजर उनके 'अमेरिका ग्रेट अगेन' के सपने को खतरा पैदा होने की आशंका पैदा हो गई है। तभी वह अपने टैरिफ थोपने के फैसले को कुछ दिनों के लिये आगे टाल रहे हैं। वैसे अभी भी यह अनुमान लगाना मुश्किल ही है कि उनकी यह नई समझदारी निरंतरता के साथ स्थायी होगी भी या नहीं। लेकिन अनिश्चय के दौर से गुजर रहे वैश्विक बाजार को कुछ समय के लिये राहत जरूर मिली है। जिसका असर दुनिया के शेयर बाजारों पर भी नजर आया है। जिससे मंदी की तरफ बढ़ रही दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कुछ समय तक राहत की सांस ले सकती हैं।

बहरहाल, भारत ने ट्रंप के द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ का तत्काल जवाब न देकर सकारात्मक पहल की है। ऐसा लगता है कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ पर आक्रामक रुख अपनाने के बजाय इंतजार करने का फैसला करके समझदारी भरा कदम उठाया है। हालांकि, इस फैसले को लेकर विपक्षी आलोचना के स्वर भी सुनाए देते रहे हैं। दरअसल, दांव पर दोनों देशों के बीच होने वाला द्विपक्षीय समझौता भी है, जिस पर नई दिल्ली और वाशिंगटन काम कर रहे हैं। भारत का लक्ष्य है कि दोनों देशों के बीच व्यापार को ढाई गुना बढ़ाना है। भारत ने चतुराई से असहज स्थितियां पैदा करने वाले कारकों को टाला है। बहरहाल, हाल में मिली राहत के बीच यह सुनिश्चित करने के लिये निरंतर बातचीत की आवश्यकता होगी कि भारत को लंबे समय तक भारी टैरिफ का बोझ न उठाना पड़े। साथ ही भारतीय हितधारकों को अधिक नुकसान से भी बचाया जाना चाहिए। वहीं चीन ने अमेरिका द्वारा टैरिफ थोपे जाने के खिलाफ अंत तक व्यापार युद्ध लड़ने की कसम खाई है। उसने मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका विरोधी मोर्चा बनाने के लिये यूरोपीय संघ और आसियान के देशों से संपर्क साधा है। ऐसा लगता है कि चीन को इस बात का अहसास हो चला है कि टैरिफ युद्ध में वह अकेला ही अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि चीन भारत को संकेत दे रहा है कि दो सबसे बड़े विकासशील देशों को मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक साथ खड़ा होना चाहिए। हालांकि, भारत चीन के इस अवसरवाद को बखूबी समझता है। लेकिन एक मुश्किल बात यह है कि चीन और अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल हैं। लेकिन अतीत में चीन की भारत के खिलाफ जिस तरह की हरकतें रही हैं और जिस तरह वह दक्षिण एशिया में भारत की घेराबंदी कर रहा है, उसके मद्देनजर चीनी आकांक्षा के प्रति भारत को सतर्क प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लगातार विषम होती परिस्थितियों के बीच भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिये बेहद सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए।

राम को रोटी से जोड़ने का संकल्प

—अंकित सिंह—

अपने यहां कहा जाता है,जिसने जन्म दिया वही रोटी का भी इंतजाम करेगा। यह ऊपरवाले पर मुकम्मल भरोसे के साथ इस बात की ओर भी संकेत करता है कि अगर अपने इष्टदेवों से जुड़े स्थलों को सजा सवार दिया जाय। वहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर बुनियादी सुविधाएं विकसित कर दी जाएं तो वहां भारी संख्या में रोजी रोजगार के अवसर स्थानीय और आसपास के लोगों को उपलब्ध होते हैं। यह राम को रोटी को जोड़ने जैसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सच साबित कर दिया। आज शिव की अविनाशी काशी और राम की अयोध्या पर्यटकों की आमद के मद्देनजर यहां के लाखों लोगों की रोजी–रोटी का जरिया बन गए हैं। कमोबेश यही स्थिति अन्य तीर्थ स्थलों की भी है। तीरथराज प्रयाग में आयोजित महाकुंभ में तो इसका चरमोत्कर्ष दिखा। सरकार का अनुमान था कि करीब डेढ़ महीने तक चलने वाले विश्व के इस सबसे बड़े धार्मिक समागम में करीब 35 से 40 करोड़ श्रद्धालु एवं पर्यटक शामिल होंगे, पर शामिल हुए 66 करोड़ से अधिक लोग। इनमें से बहुतों की मंजिल सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, काशी, अयोध्या, वनगमन के दौरान जहां भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित राम को निषादराज ने जहां उनको गंगा पार कराया था वह श्रृंगवेरपुर और वनगमन के दौरान राम ने मंदाकिनी के तट पर जिस चित्रकूट में सर्वाधिक समय गुजारा था, वह भी थी। कई लोगों ने विंध्याचल स्थित मां जगदंबा के दरबार में भी हाजिरी लगाई।

अब एक पर्यटक ने औसतन इस दौरान कितना खर्च किया। इस खर्च का कितना कितना लाभ इस सेक्टर्स से जुड़े स्टेकहोल्डर्स और स्थानीय लोगों को मिला। केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से में प्रयागराज के महाकुंभ और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और राममंदिर एवं अयोध्या के कायाकल्प पर हुए खर्च की तुलना में कितना लाभ हुआ, यह अर्थशास्त्र के जानकारों के लिए अनुमान विषय है। पर, यह निर्विवाद सच है कि पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद से लाभ में सब रहे। साथ ही इसने उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाओं का एक नया और बड़ा दरवाजा खोल दिया। क्योंकि, बहुसंख्यक समाज के रोम रोम में बसने वाले राम की अयोध्या, तीनों लोकों से न्यारी शिव की काशी और राधा कृष्ण की जन्म भूमि, ग्वाल बालों और गोपियों के साथ लीला के स्थल ब्रज उत्तर प्रदेश में है। इन सभी जगहों की संभावनाओं के मद्देनजर योगी सरकार यहां आने वालों की सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से लगातार काम भी कर रही है।

इसका नतीजा है कि पर्यटकों की आमद के हिसाब से उत्तर प्रदेश लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। 2022 से ही घरेलू पर्यटकों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक पर बना हुआ है। सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 में उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या मात्र 24 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 65 करोड़ हो गई। आठ वर्षों में 41 करोड़ की यह वृद्धि खुद में अभूतपूर्व है। स्वाभाविक है कि महाकुंभ के नाते 2025 एक नया रिकॉर्ड रचेगा। यह संख्या एक अरब का ऊपर तक जा सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चौंबर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 फीसद से अधिक घरेलू यात्राएं धार्मिक स्थलों की होती हैं। धार्मिक पर्यटन आर्थिक उन्नति और सांस्कृतिक आदान–प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए ऐसी सभी जगहों को बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं, सड़क और एयर कनेक्टिविटी, आने वालों की सुरक्षा और सेवा देनी होती है। यह सारा काम उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संजीदगी से कर रही है।

यह सब यूं ही नहीं हुआ। इसकी पृष्ठभूमि मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तभी से शुरू हो गई थी। तब अयोध्या जाना तो दूर की बात, कोई नेता अयोध्या का नाम तक नहीं लेना चाहता था उस अयोध्या में वह बार बार गए। हर बार उन्होंने अयोध्या को विकास की बड़ी सौगात दी। दीपावली के एक दिन पूर्व भव्य दीपोत्सव आयोजन कराया। इससे एक बार फिर देश–दुनिया में राम को मानने वालों का ध्यान अयोध्या की ओर गया। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने और मंदिर का शिलान्यास होने के बाद तो केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या के कायाकल्प के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। मुख्यमंत्री की मंशा अयोध्या की दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्यटन नगरी बनाने की है। इसे वे कई बार सार्वजनिक मंचों से भी कह चुके हैं। उसी मंशा के अनुरूप अयोध्या में लगातार काम भी हो रहे है। काशी, प्रयाग, ब्रज क्षेत्र पर भी उनका इसी तरह फोकस है।

उल्लेखनीय है कि राम और रोटी का रिश्ता अटूट है। दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। राम मंदिर आंदोलन को धार देकर भाजपा ने इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख एजेंडा बनाया। करीब 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद जब राम मंदिर आंदोलन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा ही सत्ता में रही। सोने पर सुहागा यह कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ थे। यह वह पीठ है जिसका राम मंदिर आंदोलन से वास्ता करीब 100 वर्षों का है। योगी के दादागुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ और खुद योगी आदित्यनाथ राम मंदिर आंदोलन के हर महत्वपूर्ण घटना के समय मौजूद रहे। ऐसे में जनमानस के मन में यह बैठ गया है कि अयोध्या में श्रीराम को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम भाजपा ने किया। इस काम में गोरक्षपीठ की अहम भूमिका रही। बतौर पीठ के पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल इस कसौटी पर खरे उतरे, बल्कि काशी, मथुरा, प्रयागराज सहित अन्य धार्मिक स्थलों के नियोजित विकास से अपने पद एवं दायित्व के अनुसार उसे विस्तार भी दिया। यह सिलसिला अभी जारी है।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

आम आदमी की जेब पर हमला

—डॉ सत्यवान सौरभ—

भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकार आज निजी संस्थानों के लिए मुनाफे का जरिया बन चुके हैं। प्राइवेट स्कूल सुविधाओं की आड़ में अभिभावकों से मनमाने शुल्क वसूलते हैं,ड्रेस, किताबें, यूनिफॉर्म, कोचिंगकृसब कुछ महँगा और अनिवार्य बना दिया गया है। वहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल डर और भ्रम का माहौल बनाकर मरीजों से मोटी रकम वसूलते हैं। सामान्य बीमारी को गंभीर बताकर महंगी जांच, दवाइयाँ और भर्ती का दबाव बनाया जाता है। इन संस्थानों के पीछे राजनीतिक संरक्षण है, जिस कारण कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती। सबसे अधिक संकट में मध्यम वर्ग है, जिसे न सरकारी सेवाओं पर भरोसा है, न प्राइवेट सिस्टम से राहत। यह एक चेतावनी है कि यदि जनता ने अब भी आवाज नहीं उठाई, तो शिक्षा और स्वास्थ्य सिर्फ विशेषाधिकार बनकर रह जाएंगे।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को बुनियादी अधिकार माना जाता है। लेकिन जब यही अधिकार एक व्यापार का रूप ले लें, तो आम आदमी की जिंदगी में यह अधिकार बोझ बन जाते हैं। आज के दौर में प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल सुविधाओं के नाम पर ऐसी व्यवस्था खड़ी कर चुके हैं जो आम नागरिक की जेब पर सीधा हमला करती है। यह हमला सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक और सामाजिक भी है।

प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो अब ये शिक्षण संस्थान कम और फाइव स्टार होटल ज्यादा लगते हैं। स्कूल में दाखिले के लिए लाखों की डोनेशन, एडमिशन फीस, एनुअल चार्जेस, ड्रेस, किताबें, जूते, बस फीस दृ हर चीज में अलग–अलग मदों के नाम पर वसूली होती है। किताबें स्कूल के किसी 'अधिकृत वेंडर' से ही खरीदनी होती हैं, जिनका मूल्य बाजार दर से दोगुना होता है क्योंकि उसमें स्कूल का कमीशन जुड़ा होता है। स्कूल यूनिफॉर्म भी उन्हीं से लेनी पड़ती है, जो आम बाजार में मिलती ही नहीं।

यह सब इसलिए नहीं कि अभिभावक इन सुविधाओं की मांग करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि स्कूलों ने इसे 'अनिवार्य' बना दिया है। पढ़ाई नाम की चीज अब कक्षा में कम और कोचिंग संस्थानों में ज्यादा होती है दृ और दिलचस्प बात ये है कि उन कोचिंग संस्थानों के मालिक भी कई बार उन्हीं स्कूल संचालकों से जुड़े होते हैं। बच्चा दिनभर स्कूल, फिर कोचिंग, फिर होमवर्क, और फिर ट्यूशन दृ खुद के लिए ना समय, ना सोच, ना बचपन।

इन सबका उद्देश्य एक ही होता है 99: लाओ। और जब ये नंबर नहीं आते, तो बच्चे हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। अभिभावक दूसरों के बच्चों से तुलना करने लगते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया मानसिक उत्पीड़न में बदल जाती है।

अब अगर शिक्षा में ये स्थिति है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र उससे भी भयावह है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ढांचा अब इलाज से ज्यादा 'कमाई' पर केंद्रित हो गया है। अस्पताल में घुसते ही 'पर्ची' कटती है, फिर तरह–तरह की जाँचें, महंगी दवाइयाँ, और एडवांस पेमेंट' की माँग –और वो भी बिना यह बताए कि मरीज की स्थिति क्या है।

सामान्य सर्दी–खांसी या बुखार को भी डॉक्टर ऐसा बताते हैं मानो जीवन संकट में हो। डर दिखाकर लोगों को लंबी दवाओं और भर्ती की सलाह दी जाती है। मरीज ठीक भी हो जाए, तब भी बिल देखकर परिवार बीमार हो जाता है। जो दवा बाहर 10 रुपए में मिलती है, वही अस्पताल के बिल में 200 से 300 रुपए की होती है।

यहाँ तक कि मौत के बाद भी लाश को एक–दो दिन रोककर 'मर्चुरी चार्जेस', 'फ्रीजर चार्जेस' आदि के नाम पर अंतिम सांस तक पैसा वसूला जाता है। यह एक क्रूर मजाक है उस परिवार के साथ जो पहले ही अपनों को खो चुका होता है।

इस लूट का सबसे दुखद पहलू यह है कि यह सब किसी को छिपकर नहीं करना पड़ता – सब कुछ खुलेआम होता है। अखबार, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल दृ हर जगह यह मुद्दा उठता है। हर साल प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी और हॉस्पिटल बिलों पर शोर होता है, लेकिन हर बार यह शोर धीरे–धीरे दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल दृ इन सबके पीछे किसी ना किसी नेता का हाथ होता है। चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का दृ सिस्टम में बैठे अधिकतर लोग कहीं ना कहीं इस खेल में हिस्सेदार होते हैं। नियम–कानून बनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। आरटीई (शिक्षा का अधिकार कानून), सीजीएचएस (स्वास्थ्य सुविधा योजना), नैशनल मेडिकल काउंसिल – ये सब नाम भर हैं, जिनका प्रयोग प्रचार में होता है, न कि आम आदमी को राहत देने में।

गरीबों के लिए सरकार कभी–कभी योजनाएँ बना देती है, अमीरों को कोई चिंता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा पिसता है मध्यम वर्ग। न उसे सरकारी स्कूल में भेजना गवारा होता है, न सरकारी अस्पताल में जाना। मजबूरी में वह प्राइवेट विकल्प चुनता है, और फिर उसी जाल में फँस जाता है – एक ऐसा जाल जिसमें न कोई नियंत्रण है, न कोई जवाबदेही।

मध्यम वर्ग न तो सड़क पर उतरता है, न ही आंदोलन करता है। वह हर महीने अपनी जेब काटकर म्ब देता है, स्कूल की फीस चुकाता है, हॉस्पिटल के बिल भरता है, और बस यही सोचता है – "और कोई रास्ता भी तो नहीं है।"

अगर वास्तव में इस समस्या से निपटना है, तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। निजी संस्थानों की पारदर्शिता दृ स्कूलों और अस्पतालों को अपने शुल्क और सेवाओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर लगानी चाहिए। एक स्वतंत्र नियामक संस्था होनी चाहिए जो फीस और सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करे। एक ऐसी प्रणाली जहां आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सके और उसका समाधान समयबद्ध तरीके से हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या उनके परिवार का हित इन संस्थानों से ना जुड़ा हो। जब तक आम जनता एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएगी, तब तक यह लूट का सिलसिला चलता रहेगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य कोई 'सेवा' नहीं रह गई है – यह अब एक 'सर्विस' है, जिसका मूल्य तय होता है आपकी जेब देखकर। यह स्थिति किसी भी संवेदनशील और लोकतांत्रिक समाज के लिए शर्मनाक है। जब तक हम खुद नहीं जागेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, और सिस्टम से जवाबदेही नहीं माँगेंगे – तब तक यह प्राइवेट सिस्टम हमें ऐसे ही लूटता रहेगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत–धन्सा
वि0ख0 –रूधौली, जनपद–बस्ती

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **धन्सा** विकास खण्ड रूधौली, जनपद बस्ती द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईंट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, ह्यूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतु भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एसएलडब्लूएम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2025–26 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनॉक 12–04–2025 से 18.04.2025 को सायं 12.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **धन्सा** के निविदा बॉक्स में प्राप्त कर डाली जायेगी। जो दिनांक 19.04.2025 पूर्वाहन 2:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्तें

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।

2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।

4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।

5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।

6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **धन्सा** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय **धन्सा** से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान–श्रीमती शशिकला | **सचिव–श्रीमती स्नेहा श्रीवास्तव**
ग्राम पंचायत–धन्सा | ग्राम पंचायत–धन्सा
विकास खण्ड–रुधौली | विकास खण्ड–रुधौली
जनपद –बस्ती | जनपद –बस्ती
पत्रांक मेमो /टेण्डर विज्ञप्ति /2025–26 दिनांक 10.04.2025

कार्यालय ग्राम पंचायत–सुरवारखुर्द
वि0ख0 –रूधौली, जनपद–बस्ती

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सुरवारखुर्द,** विकास खण्ड रूधौली, जनपद बस्ती द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईंट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, ह्यूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतु भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एसएलडब्लूएम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2025–26 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनॉक 11–04–2025 से 17.04.2025 को सायं 02.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **सुरवारखुर्द,** के निविदा बॉक्स में प्राप्त कर डाली जायेगी। जो दिनांक 17.04.2025 पूर्वाहन 3:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्तें

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।

2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।

4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।

5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।

6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **सुरवारखुर्द,** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय **सुरवारखुर्द,** से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान–विजय कुमार यादव | **सचिव–जगदीश कुमार यादव**
ग्राम पंचायत–सुरवारखुर्द | ग्राम पंचायत–सुरवारखुर्द
विकास खण्ड–रुधौली | विकास खण्ड–रुधौली
जनपद –बस्ती | जनपद –बस्ती
पत्रांक मेमो /टेण्डर विज्ञप्ति /2025–26 दिनांक 10.04.2025

कार्यालय ग्राम पंचायत खलीलपट्टी वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(सुनीता) ग्राम प्रधान **(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत हरदी वि0ख0 गौर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–04 2025 से 21–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 22–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(गुलाम शाहिद) ग्राम प्रधान **(अबरार अहमद)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

निजी स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगा कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

संवाददाता–महराजगंज। निजी स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी शुक्रवार को सड़क पर उतर गए। स्कूलों पर फीस, ड्रेस व किताब पर मनमाने ढंग से रेट वसूलने का आरोप लगाकर कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। पूर्व जिलाध्यक्ष शरद कुमार सिंह ऊर्फ बबलू सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन देकर अभिभावकों का शोषण बंद करने व कड़ी नियमावली बनाए जाने की मांग की। पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि महंगाई के दौर में आम आदमी पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में कई निजी स्कूल मनमानी कर अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। स्कूल संचालक न केवल महंगी फीस वसूल रहे हैं, बल्कि अपने निर्धारित दुकानों से ही महंगी किताबें और ड्रेस खरीदने का दबाव भी बना रहे हैं। कुछ स्कूल तो खुद की दुकानें खोलकर कई गुना कीमत पर सामान बेच रहे हैं। इससे अभिभावक परेशान हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच कर दोषी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक प्रभावी नियमावली बनाई जाए और अभिभावकों को राहत मिल सके।

इस दौरान नूर आलम, शरदेंन्दु पाण्डेय, विनोद सिंह, गोविन्द मिश्रा, संदीप, दीपचंद तिवारी, देवेंद्र उपाध्याय, शिवशंकर वर्मा, अम्बरीश शाही, कपिल देव, संदीप तिवारी, रामनारायण, जयप्रकाश आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत बडोखर वि0ख0 गौर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–04 2025 से 22–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 23–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(खजान्ती) ग्राम प्रधान **(संजीव कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत बैदोलिया वि0ख0 गौर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–04 2025 से 24–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 25–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(ममता पाण्डेय) ग्राम प्रधान **(वीरेन्द्र कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

अज्ञात वाहन की ठोकर से सफाईकर्मी की मौत

संवाददाता–देवरिया। भागलपुर चौराहे के समीप गुरुवार की देर रात अज्ञात वाहन की ठोकर से सफाईकर्मी मौत हो गई। हादसा भागलपुर–मईल मार्ग पर हुआ। सफाईकर्मी की मौत की जानकारी मिलते ही उसके घर में कोहराम मच गया। रविन्द्र यादव (42) पुत्र सरभू यादव निवासी गोहरिया मईल भागलपुर ब्लाक के एकौना गांव में सफाई कर्मी थे। रविन्द्र यादव बाइक से गुरुवार की शाम भागलपुर किसी काम से जा रहे थे। अभी भागलपुर–मईल मार्ग पर भागलपुर चौराहे के समीप पहुंचे थे कि अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया। ठोकर लगने से रविन्द्र सड़क किनारे गिरकर गम्भीर रुप से घायल हो गए। उधर से गुजर रहे लोगों ने घटना की सूचना परिजनों व पुलिस को दी और घायल रविन्द्र यादव को भागलपुर पीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान रविन्द्र यादव की देर रात मौत हो गई।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण महोदय बस्ती जिला–बस्ती

प्रतिकर वाद सं0–17/2022

गनी मोहम्मद आदि

बनाम

वन्दना मिश्रा

1. वन्दना मिश्रा पत्नी श्री उत्तम मिश्रा निवासी 1008 बंगाल स्वीट्स अमोल्ला टावर पोस्ट बसखारी जिला अम्बेडकरनगर पिन कोड–224129 (वाहन स्वामी टेम्पो नं0–यू0पी0–45 टी/5507)

तारीख पेशी 15–04–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 15 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत तेनुईचेत सिंह वि0ख0 गौर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–04 2025 से 22–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 23–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(विभावती देवी) ग्राम प्रधान **(अबरार अहमद)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत खुटहना वि0ख0 गौर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–04 2025 से 23–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 24–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(राम दुलारे चौहान) ग्राम प्रधान **(वीरेन्द्र कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा

(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी0 महोदय बस्ती जिला–बस्ती

वाद सं0–08/2004

कोमल प्रसाद

बनाम

बंशराज

1/4/1 राजू पुत्र राम गुलाम 1/4/2 चन्द्रशेखर पुत्र राम गुलाम 1/4/4 मालती देवी पुत्री राम गुलाम निवासीगण ग्राम पिपरा पंड़ित तप्पा उजियार परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीर नगर

तारीख पेशी 03–05–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 03 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख 11 माह 04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)

नं0मु0– 01/2025

धारा 72/73 रजिस्ट्रेशन एक्ट

अदालत– श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला–बस्ती

राणा प्रताप सिंह

बनाम

ऋषिकेश आदि

1/1 दिनेश प्रताप सिंह 1/2 राकेश प्रताप सिंह 1/3 सिद्धार्थ सिंह पुत्रगण हरिवंश सिंह 1/4 रामलली पत्नी हरिवंश सिंह साकिनान बेलाड़ी तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 25–04–2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 25 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैस़ला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 11 माह 04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत मदनपुरा वि0ख0 गौर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–04 2025 से 21–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 22–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(जागृति यादव) ग्राम प्रधान **(वीरेन्द्र कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत भरवलिया वि0ख0 गौर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–04 2025 से 22–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 23–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अशर्फी लाल) ग्राम प्रधान **(वीरेन्द्र कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत गदापुरचक वि0ख0 रामनगर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–04 2025 से 22–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 23–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(पवन कुमार द्विवेदी) ग्राम प्रधान **(शालिनी त्रिपाठी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत बाकेचौर वि0ख0 रामनगर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–04 2025 से 21–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 22–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(मणिन्द्र प्रताप चौधरी) ग्राम प्रधान **(शालिनी त्रिपाठी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत समसपुर वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–04 2025 से 27–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 02.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 28–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(इन्द्रावती देवी) ग्राम प्रधान **(जितेन्द्र अरोरा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत कोठवा भरतपुर वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–04 2025 से 19–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 20–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(जोहरा) ग्राम प्रधान **(ज्ञानेन्द्रधर द्विवेदी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /10.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में यह कार्रवाई की गई। पथरा बाजार थाने की प्रभारी निरीक्षक भाग्यवती पाण्डेय की टीम ने शुक्रवार को यह गिरफ्तारी की। आरोपी का नाम हलवाई उर्फ मुराली है, जो नेपाल के तौलियहवा जिले के पकड़ी थाना क्षेत्र के बड़ा धमौली का रहने वाला है। मामला मुकदमा संख्या 16/2025 से जुड़ा है। आरोपी पर धारा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया है। यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ और क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज बृजेश कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

अपील सं0

अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मण्डल बस्ती जिला–बस्ती

श्रीमती सुशीला देवी

बनाम

महंगी आदि

बनाम– 1. राम चन्दर 2. रामभवन 3. फूलचन्द्र पुत्रगण महंगी 4. सावित्री देवी पत्नी हरिश्चन्द्र 5. श्रीमती धनपाती पत्नी श्यामलाल 6. दिनेश कुमार पुत्र हरीशचन्द्र 7.बृजेश कुमार पुत्र हरीशचन्द्र 8. अर्जुन पुत्र बहाल 9. मो0 हनीफ पुत्र हक्कू निवासीगण ग्राम कटबन्ध तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर 10. अजय कुमार पुत्र गोपीमल निवासी स्टेशन रोड पुरानी बस्ती जनपद–बस्ती

तारीख पेशी 16–04–2025

अपील बनराजी अदालत मुकाम मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 16 महीना 04 सन 2025 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख 11 माह 04 सन 2025 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)

नं0मु0–T 202417140305476

धारा 116 उ0प्र0रा0सं0–2006

अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय (न्यायिक) बस्ती जिला–बस्ती

नीतू सिंह

बनाम

सरोज शुक्ला आदि

साकिन बेदुआवारी तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती

1. सरोज शुक्ला पुत्री परमात्मा प्रसाद मिश्र साकिन महदेव 2. उर्मिला सिंह पत्नी ओम प्रकाश सिंह निवासी ग्राम तेनुआ 3. सुशील कुमार पुत्र लक्ष्मी शंकर साकिन महदेव तप्पा जात सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 20–04–2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 20 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

मूलवाद संख्या 35/2024

न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

राम सेवक आदि

बनाम

परमहंस मिश्रा आदि

1. श्रीमती मिथिला मिश्र पत्नी परमहंस मिश्रा 2. राजेश 3. राकेश पुत्रगण परमहंस मिश्रा साकिनान मौजा खरचौला नानकार तप्पा असनार परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

–प्रतिवादी प्रथम पक्ष

4. दीपक 5. अष्टभुजा 6. मनीष पुत्रगण अर्जुन 7. रमाकान्त 8. लक्ष्मीकान्त पुत्रगण रामबक्श 9. सर्वज्ञनाथ पुत्र राम अजोर मिश्रा 10. विजय प्रताप पुत्र रामपियारे 11. अशोक कुमार 12. अजीत पुत्रगण रामतेज 13. श्रीमती सुशीला विधवा रामतेज 14. विजय बहादुर 15. विजय किशोर 16. रामसागर पुत्रगण भागीरथी 17. पंकज 18. नीरज पुत्रगण बृहस्पति साकिनान मौजा खरचौला नानकार तप्पा असनार परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर 19. राम प्रकाश पुत्र बंशनाथ 20. दीपक 21. संजय पुत्रगण चन्दू 22. यशोदा देवी विधवा चन्द्रप्रकाश 23. सुरेन्द्र प्रकाश पुत्र आद्या प्रसाद साकिनान खरिका दूबे तप्पा असनार परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

–प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष

तारीख पेशी 02–05–2025

प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक **02–05–2025** को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**

संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।

मो09450567450 9336715406,

ई.मेल**bhartiyabasti@yahoo.com**

bhartiyabasti@gmail.com